रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1488] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2014/आषाढ़ 25, 1936
No. 1488] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2014/ASHADHA 25, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

का. आ. 1850(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि मे जो इस से उपाबद्व अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाऐ जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियॉ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री बिशनु मोहन भांजा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल हाउसिंग काम्पलेक्स, बालासोर–756 001, (उड़ीसा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : रेमुणा		जिला : बालासोर	राज्य : उड़ीसा		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	कोरडा – 196	604	00	02	40
		78	00	01	00

[फा.सं. आर–25011/10/2013–ओ.आर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2014

S. O. 1850(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Bishnu Mohan Bhanja, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil Housing Complex, Balasore – 756 001, Odisha

SCHEDULE

Tahasil :Remuna		District : Balasore	State : Odisha		
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Korara-196	604	00	02	40
		78	00	01	00

[F. No.- R-25011/ 10 /2013-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

का. आ. 1851(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1189 तारीख 24 जून, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 29 जून, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 अप्रैल, 2014, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

तहसील : रेमुणा		जिला : बालासोर	राज्य : उड़ीसा		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	मेघडम्बरू — 172	54 / 552	00	00	80
		53	00	08	60
		52 / 547	00	03	20
		51	00	03	60
		49 / 542	00	01	10
		48 / 539	00	02	80
		47 / 536	00	04	20
		46 / 538	00	15	50
		46 / 537	00	00	20
		46	00	15	00
		47	00	01	60
		45 / 543	00	06	50
		44	00	09	90
		41 / 532	00	00	20
2	कोरडा — 196	642	00	00	30
		638	00	00	40
		604	00	04	20
		625	00	09	70
		626	00	00	60

		605	00	03	20
2	कोरडा – 196 (जारी....)	601			
		601 / 850			
		601 / 850 / 1192			
		601 / 856			
		601 / 863			
		601 / 883	00	01	90
		601 / 883 / 1301			
		601 / 883 / 1302			
		601 / 905			
		601 / 972			
		601 / 1060			
		603			
		603 / 857			
		603 / 857 / 1195			
		603 / 857 / 1196			
		603 / 864	00	06	60
		603 / 887			
		603 / 887 / 1299			
		603 / 887 / 1300			
		602			
		602 / 1045	00	04	50
		602 / 1163			

[फा. सं. आर.–25011 / 10 / 2013–ओ.आर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2014

S.O. 1851(E). —Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1189 dated the 24th June, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 29th June, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 01.04.2014;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tahasil :Remuna		**District : Balasore**			**State : Odisha**
Sl. No.	**Name of the Mouza**	**Khasara No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Square meter**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Meghadambaru -172	54/552	00	00	80
		53	00	08	60
		52/547	00	03	20
		51	00	03	60
		49/542	00	01	10
		48/539	00	02	80
		47/536	00	04	20
		46/538	00	15	50
		46/537	00	00	20
		46	00	15	00
		47	00	01	60
		45/543	00	06	50
		44	00	09	90
		41/532	00	00	20
2	Korara -196	642	00	00	30
		638	00	00	40
		604	00	04	20
		625	00	09	70
		626	00	00	60
		605	00	03	20
		601	00	01	90
		601/850			
		601/850/1192			
		601/856			
		601/863			

2	Korara -196 (Contd…)	601/883			
		601/883/1301			
		601/883/1302			
		601/905			
		601/972			
		601/1060			
		603	00	06	60
		603/857			
		603/857/1195			
		603/857/1196			
		603/864			
		603/887			
		603/887/1299			
		603/887/1300			
		602	00	04	50
		602/1045			
		602/1163			

[F. No. R- 25011/10 /2013- OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.